

## भारतीय मजदूरसंघ BHARATIYA MAZDOOR SANGH

DattopantThengadiBhawan, 27, DeendayalUpadhyayMarg, New Delhi-110002 Tel:- 011 23222654 Fax: 91-11-23212648

Website: www.bms.org.in E-mail: bmsdtb@gmail.com

Ref-BMS/ प्रेस विज्ञप्ति

Date 23/08/2022

## प्रेस विज्ञप्ति

## अम संहिताओं पर मा. अम मंत्री के साथ चर्चा

आज भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने नई श्रम संहिताओं में संशोधन, पीएफ तथा ईएसआई से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपनी मांगों के संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में बैठक की।

भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि वह कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी तथा वेतन संहिता का स्वागत करता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अनेक प्रावधानों पर वह सहमत नहीं है जैसे कि Fixed Term Employment का संघ आरंभ से विरोध कर रहा है तथा श्रम संहिताओं में सरकार ने जो श्रेसोल्ड लिमिट को 100 से 300 किया है तथा कांट्रेक्चुअल एवं फैक्ट्री एक्ट में भी जो श्रेसोल्ड लिमिट को बढ़ाया है उसका संगठन विरोध करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करते हुए ट्रेड यूनियन के बनाने एवं चुनाव इत्यादि प्रक्रियाओं से संबंधित जो प्रावधान इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में किए गए हैं उनसे संगठन सहमत नहीं है यह प्रावधान न केवल श्रमिकों के हितों का हनन करते हैं अपितु प्रबंधकों के एकतरफा एवं मनमाने क्रियाकलापों की भी पैरवी करते हैं। किसी भी यूनियन के बारगेनिंग फोरम होने की जिस दो तिहाई की सीमा पर पहले की बैठकों में सहमति बन चुकी थी उस पर भी सरकार ने रोलबैक करते हुए कम कर दिया है इस पर संगठन कड़ी आपित जताता है तथा किसी भी यूनियन के नेगोशिएटिंग बॉडी होने या सोल नेगोशिएटिंग बॉडी होने के प्रावधानों पर जो पहले सहमित बन चुकी थी उस पर कायम रहने के लिए सरकार से आग्रह करता है।

भारतीय मजदूर संघ ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के उन प्रावधानों पर सख्त आपत्ति जताई जिसमें किसी भी फैक्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट के अलग-अलग विभागों को अलग इकाई मान लिया गया है। इस नियम के लागू होने तथा थ्रेसोल्ड लिमिट बढ़ाने से देश का तकरीबन 99% कर्मचारी, मजदूर श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएगा और उन्हें नई श्रम संहिता के अंतर्गत किसी भी प्रकार का सुरक्षा कवच नहीं मिलेगा इसलिए संघ ने एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा में संशोधन करने की मांग की। इसी के

साथ संघ ने नई यूनियन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में अनावश्यक बाधाएं खड़ी करने के विरोध में तथा उन प्रावधानों में आवश्यक संशोधन हेतु अपने सुझाव दिए। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को पूर्ण आश्वासन दिया कि वह भारतीय मजदूर संघ की चिंताओं से पूरी तरह अवगत है और इस बारे में जो भी जरूरी होगा उसे लागू किया जाएगा। भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मंडल में संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री हिरण्यमय पंड्या जी, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष श्री एस मलेशम जी, श्री सी के सजीनारायण जी, श्री पवन कुमार जी एवं जयप्रकाश कौशिक ने सहभागिता की।

+ Sandy

(Hiranmay Pandya)

**President**